

प्ररूप - "ख"

॥ देखिये नियम 8॥2॥ और ॥3॥

कार्यालय, विहित प्राधिकारी ॥ जिला कलक्टर ॥ नागौर

क्रमांक ७१२/१७२२२/१९९१

दिनांक -

संपरिवर्तन आदेश

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० जोधपुर, जरिये सिनियर डीवीजनल मैनेजर जोधपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व ॥ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन ॥ नियम 1992 के नियम 8॥2॥/8॥3॥ के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं :

1- आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम,
पिता का नाम/पति के नाम सहित तथा
पूरा पता-

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
जोधपुर, जरिये सिनियर
डीवीजनल मैनेजर, जोधपुर
नहीं

2- क्या आवेदक अनुसूचित जाति या
अनुसूचित जन जाति का सदस्य है-

3- संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा-
ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम-

ग्राम- भैरवा
ग्राम पंचायत- भैरवा
तहसील- डेगाना

ख- भूमि का खसरा नं० और प्रत्येक
खसरा की संख्या का क्षेत्रफल

734/2 में से 1.06 बीगा
॥ 150x150 फुट ॥

ग- प्रत्येक खसरा सं० के क्षेत्रफल को
को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन
क्षेत्रफल

734/2 में से 1.06 बीगा
॥ 150x150 फुट ॥

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
राजस्थान कार्पोरेशन जोधपुर

टिप्पणी- अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए
राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित
प्रति संलग्न है -

4- संपरिवर्तन का प्रयोजन-

वणिज्यिक प्रयोजनार्थ
पेट्रोल पम्प हेतु

5- संवदे प्रीमियम की दर-

16 रुपये प्रति वर्ग मीटर

6- चालान संख्या तथा तारीख सहित जमा
करायी गई प्रीमियम की रकम-

दिनांक 10.5.99-13775/-

दिनांक 19.5.99- 161/-

दिनांक 22.5.99- 16835/-

दिनांक 22.5.99- 2899/-

योग- 33670/-

7- चालान की सं० तथा तारीख सहित शास्ती-
यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम-

-शून्य-

8- चालान की सं० तथा तारीख सहित ब्याज,
यदि कोई हो, की जमा कराई गयी रकम-

- शून्य-

9- क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम
12 के अधीन जारी किया गया है -

-नहीं-

10- अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो-

संजीव गोयल / Sanjeev Goel

अ प्रबन्धक / Dy. Manager

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED (M.D.)

अजमेरा कार्पोरेशन / Ajmer Divisional Office

प्लॉट-83, शास्त्री नगर, अजमेरा - 305001

E-83, Shastri Nagar, AJMER - 305001

1. आम रास्ते के मध्य बिन्दु से 20 फीट दूरी छोड़कर निर्माण किया जावेगा।

2. तहल्ल के मध्य बिन्दु से 75 फूट की दूरी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

11- उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी को पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुमति प्रत्याहृत करनी जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समस्त हो जावेगा, वस्तु की उक्त प्राधिकारी द्वारा यह अवधि। एक वर्ष के लिये और न बढ़ा दी गई हो।

3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

11.1 लोकप्रयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

4. संपरिवर्तन आदेश जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर यह भूमि अंतरित नहीं की जावेगी।

जिला कमिश्नर,

नागौर

दिनांक - 17/6/89

क्रमांक सम/ 3222

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. उपकांड अधिकारी भेजना

2. तहसीलदार भेजना

3. जिला राजस्व लेखाकार कोर्टेड नागौर

4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील भेजना

5. तत्पश्चात् ग्राम प्रचालक भेजना

6. सैनियर डीवीएन केमर, इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि० जोधपुर

7. मार्ट पत्रावली

जिला कमिश्नर,

नागौर

सं. सं. /

14699

संजीव गोयल Sanjeev Goel

उप प्रबन्धक Dy. Manager

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.पू.)

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED (M.D.)

आजमेर ब्रिडल कार्यालय / Ajmer Divisional Office

ई-83, शास्त्री नगर, अजमेर - 305001

E-83, Shastri Nagar, AJMER - 305001